

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1207/2023

दिनांक 26.04.2023

श्रीमती विनीता कालिया (RJ01215), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ (जयपुर जिला, जयपुर) को दिनांक 24.04.2023 से 20.10.2023 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 22.04.2023 से 23.04.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री रेणु कुमार मीणा (RJ01436), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, जयपुर जिला, जयपुर को श्रीमती विनीता कालिया के उक्त मातृत्व अवकाश के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ (जयपुर जिला, जयपुर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री रेणु कुमार मीणा (RJ01436), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।


आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 26.04.2023

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/02/2019/2696

दिनांक 26.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 2495 दिनांक 15.04.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती विनीता कालिया (RJ01215), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ (जयपुर जिला, जयपुर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ (जयपुर जिला, जयपुर)।
5. श्री रेणु कुमार मीणा (RJ01436), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, जयपुर जिला, जयपुर।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, जयपुर जिला, जयपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।


26.4.2023
सहायक रजिस्ट्रार